

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: ०४ सितम्बर, 2023

विषय:- 02 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य वर्ष 2024-25 की सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र सं०- एम-11015/197/2023-सी.बी., दिनांक 18 अगस्त 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी.) के साथ-साथ 29 फरवरी 2024 तक क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) तथा 31 मार्च 2024 तक जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या: 1033/33-3-2022-345/2016/टी.सी., दिनांक 27 मई, 2022 के द्वारा 09 विषयों के माध्यम से एस०डी०जी० लक्ष्यों के स्थानीयकरण की प्राप्ति के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण (थीम) अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। तत्कम में सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निम्नवत हैं:-

1. दिनांक 02 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य "जन योजना अभियान" का आयोजन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 की नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना को सक्षम समिति से अनुमोदन के पश्चात् ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
2. वार्षिक कार्ययोजनाएं सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की दिशा में 09 विषयगत दृष्टिकोण/थीम (1. गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गाँव, 2. स्वास्थ्य गाँव, 3. बाल हितैषी गाँव, 4. पर्याप्त जल युक्त गाँव, 5. स्वच्छ एवं हरित गाँव, 6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे वाला गाँव, 7. सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गाँव, 8. सुशासन युक्त गाँव, 9. महिला हितैषी गाँव पर आधारित होगी, जिन्हें विभिन्न विषय से सम्बन्धित नोडल विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जन सहभागिता लेते हुए तैयार किया जाये।
3. वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने से पूर्व शासनादेश सं० 2618/33-3-2015-10 जी.आई./2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक कराते हुए 09 थीम/विषय से सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों के दायित्वों का निर्धारण किया जाए तथा महत्वपूर्ण फ्लैगशिप (राज्य/केन्द्र) योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण एवं उनसे सम्बन्धित गतिविधियों को पंचायतों की कार्ययोजना में सम्मिलित कराने हेतु ग्राम/ब्लाक/तहसील/जनपद स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को जिलाधिकारी के स्तर से निर्देश निर्गत किये जाये।



4. वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु नियोजन की प्रक्रिया का ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर का निम्नानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए:-

(अ) ग्राम पंचायत स्तर पर:-

I. ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व योजना तैयार किए जाने ग्रामवासियों को जागरूक किया जाए तथा ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों की आवश्यकताओं के आंकलन एवं समस्याओं की पहचान हेतु विभिन्न विभागों के कर्मियों के साथ भ्रमण किया जाये। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ग्रामवासियों की समस्याओं/आवश्यकताओं पर ग्राम सभा में विचार किया जाए। समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी की उपस्थिति दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। इस सम्बंध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 'मिशन अंत्योदय' अन्तर्गत एकत्र किये गये प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर पाये गये क्रिटिकल गैप पर भी चर्चा कर गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायगा।

II. ग्राम पंचायतों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु निर्धारित 09 थीम में से कम से कम 01 एवं अधिकतम 02 थीम का चयन किया जायेगा (वर्ष 2023-24 हेतु चयनित विषय का पुनः भी चयन किया जा सकता है)। चयनोपरान्त ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित थीम का उल्लेख ग्राम सभा की कार्यवाही में किया जाएगा तथा हस्ताक्षरित ग्राम सभा संकल्प की प्रक्रिया पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेण्ट ग्राम सभा पोर्टल (<https://meetingonline.gov.in>) पर किया जायेगा, साथ ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया को जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अद्यतन करते हुए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ब) क्षेत्र एवं जिला पंचायत स्तर पर:-

I. क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र में जन-समुदाय की आवश्यकताओं/समस्याओं को चिन्हित कर वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये तथा 09 विषयगत क्षेत्रों/थीम पर ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं क्षेत्र पंचायत की आवश्यकताओं को जिला पंचायत विकास योजना(डी.पी.डी.पी.) का भाग बनाया जाये।

II. क्षेत्र एवं जिला पंचायतों द्वारा अपनी विकास योजना में विकासात्मक आवश्यकताओं, एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों को लाभ पहुँचाने वाले कार्य, सामाजिक विकासपरक कार्य, स्त्री-पुरुष समानता के प्रति संवेदित योजना, स्वच्छता, जल आपूर्ति, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचा विकसित करने जैसी सेवाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता, कार्बन मुक्त एवं ग्राम ऊर्जा (सोलर पॉवर) से संबंधित गतिविधियों पर केन्द्रित कार्ययोजना, स्वयं द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा दी जा रही सेवाओं के आई.एस.ओ. सर्टिफिकेशन से सम्बन्धित कार्य को जगह दी जाये। इसके साथ ही कार्ययोजना में कम लागत/बिना लागत वाली गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाए।

III. बी.पी.डी.पी. को क्षेत्र पंचायत समिति तथा डी.पी.डी.पी. को जिला पंचायत की निर्धारित समिति से अनुमोदन के पश्चात् जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अद्यतन करते हुए वार्षिक कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

5. उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च 2024 के मध्य वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु निम्न समय-सारिणी के अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये:-

(1) ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.)

| क्र. | गतिविधियाँ | समयावधि |
|------|--|---|
| 1. | ग्राम पंचायत पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक का आयोजन। | दिनांक 20 सितम्बर, 2023 तक |
| 2. | जनपद एवं ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारियों का निर्धारण। | 20 सितम्बर 2023 तक |
| 3. | ग्राम पंचायत स्तर पर फ़ैसिलिटेटर का चयन। | 25 सितम्बर 2023 तक |
| 4. | नोडल अधिकारियों एवं फ़ैसिलिटेटर हेतु परिचयात्मक कार्यशाला/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन। | 27 सितम्बर 2023 तक |
| 5. | ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर, उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम सभा की समय-सारिणी अपलोड किया जाना। | दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 तक |
| 6. | वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार-विमर्श एवं जागरूकता हेतु स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन। | दिनांक 02 अक्टूबर 2023 |
| 6.1 | वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा की कम से कम 02 बैठकों (प्रथम बैठक जागरूकता एवं कार्ययोजना पर विचार तथा द्वितीय बैठक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना) का अनिवार्य रूप से आयोजन। | |
| 6.2 | महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें शिक्षा, महिला व बाल विकास, महिला कल्याण तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि सहयोगी होंगे। | दिनांक 02 अक्टूबर, से 15 दिसम्बर, 2023 तक |
| 6.3 | ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा "मिशन अन्त्योदय" सर्वेक्षण में आए क्रिटिकल गैप पर चर्चा कर आवश्यकतानुसार गतिविधियों का समावेश। | |
| 6.4 | गरीबी न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, वी.एच.एस.एन.सी., जैवविविधता सम्बंधी वानिकी योजना, एस.एल.डब्ल्यू एम., विद्यालय प्रबंधन, श्रम बजट तथा अन्य ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का जी.पी.डी.पी. का समावेश। | |
| 6.5 | ग्राम सभा, महिला सभा व बाल सभा की जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाना। | |
| 7 | अंतिम रूप से ग्राम सभा से अनुमोदित कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना। | दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक |



(2) क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बी.पी.डी.पी.) एवं जिला पंचायत विकास योजना (डी.पी.डी.पी.) तैयार करना:

| क्र.सं. | गतिविधियाँ | समयावधि |
|---------|--|---|
| 1 | क्षेत्र पंचायत (खण्ड विकास अधिकारी) एवं जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी) का कार्ययोजना तैयार किये जाने पर उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण एवं विचार-विमर्श हेतु प्रथम बैठक। | दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 |
| 2 | क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्लैगशिप स्कीमों की सूचना सम्बन्धित लाइन डिपार्टमेन्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाना। | दिनांक 02 अक्टूबर, से 15 नवम्बर, 2023 तक |
| 3 | फैसीलिटेटर चयन के साथ क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत समिति द्वारा कार्यक्षेत्र की समस्याओं का चिन्हीकरण कर आवश्यकताओं का आंकलन। | |
| 4 | विषयगत क्षेत्रों/थीम आधारित गतिविधियों को कार्ययोजना का भाग बनाए जाने पर विचार-विमर्श एवं कार्ययोजना को अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की द्वितीय बैठक का आयोजन किया जाना। | दिनांक 02 अक्टूबर, से 15 दिसम्बर, 2023 तक |
| 5 | क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। | 29 फरवरी, 2024 तक |
| 6 | जिला पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना। | 31 मार्च, 2024 तक |


6. विभिन्न विभागों का दायित्व होगा कि उनके विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना एवं बजट को पंचायतों की बैठकों में प्रस्तुत किया जाये एवं क्रिटिकल गैप से संबंधित गतिविधियों को प्रत्येक स्तर की कार्ययोजना में सम्मिलित कराया जाये। विभागों का यह भी दायित्व होगा कि वह जनपद स्तर से ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अधिकारी/कर्मियों को नामित कर प्रतिभागिता सुनिश्चित कराए, जिसमें उनके विभाग की कार्ययोजना पंचायतों की विकास योजना का भाग बन सके। इस कार्य के अनुश्रवण एवं प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारी/ कर्मियों नामित किए जायें व उसका विवरण www.gpdp.nic.in पर किया जायेगा।
7. ग्राम पंचायतों में लागू सिटीज़न चार्टर के साथ गत वर्ष कराए गए कार्यों का डिस्टले लेखन ग्राम सचिवालय की दीवार पर कराया जाये।
8. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति एवं खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति पंचायतों की कार्ययोजना तैयार करने एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी।
9. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किये जाने की अवधि में रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/- तक व्यय कर सकती है।



10. रिपोर्टिंग एवं ग्राम सभा आयोजन में पंचायत सहायक की सक्रिय भागीदारी तथा 09 विषयों पर जानकारी देने हेतु विषय-विशेषज्ञों की सेवायें सीमित अवधि के लिये ली जा सकती हैं जो 09 विषयों पर समझ बनाने में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम सभा के आयोजन, रिपोर्टिंग, योजना निर्माण एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनायें ससमय अपलोड की जायेगी।
11. इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप वर्क-आई.डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क-आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल अनुमानित धनराशि के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी./बी.पी.डी.पी./डी.पी.डी.पी.) निर्माण प्रक्रिया को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 (समय-सारिणी अनुसार) के मध्य योजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।
8.9.23

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, महिला कल्याण, समाज कल्याण, नियोजन, राजस्व, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि, लघु सिंचाई, आई.टी. एवं इलेक्ट्रनिक्स तथा गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०।
5. महानिदेशक/निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, वन, महिला कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग/पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा०), उ०प्र०।
7. मिशन निदेशक/निदेशक, उ०प्र० राज्य आजीविका मिशन, कौशल विकास, उ०प्र०।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
10. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं०), उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रधान/सचिव एवं पंचायत सहायक, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।
8/9

डॉ. चन्द्र शेखर कुमार, आई.ए.एस.
अपर सचिव

Dr. Chandra Shekhar Kumar, IAS
ADDITIONAL SECRETARY

Tel.: 011-23725301
Email: cs.kumar@nic.in



2023-24
75
आजादी का
अमृत महोत्सव

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
टॉवर-II, 9वां तल
जीवन भारती बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
Tower-II, 9th Floor,
Jeevan Bharati Building,
New Delhi-110001

August 18, 2023

D.O. No. M-11015/197/2023-CB

Dea Madan / Sir,

As you are aware, Ministry of Panchayati Raj has been rolling out People's Plan Campaign (PPC) – "Sabki Yojana Sabka Vikas" since 2018 for preparation of Panchayat Development Plans (PDP). Consequent to the adoption of thematic approach, PPC 2022-23 was launched from 2nd October 2022 with focus on preparation of thematic Gram Panchayat Development Plan (GPDP) 2023-24 based on the Sankalp taken by Gram Panchayats (GPs).

2. Since thematic GPDP was a new approach towards Localisation of Sustainable Development Goals (LSDGs), State-wise orientation workshops were organized to create suitable environment and to provide hand holding support. I appreciate the efforts of States/ UTs particularly Panchayati Raj and Rural Development Departments as well as other Departments for facilitating the preparation of thematic PDP to make the PPC 2023-24 successful.

3. Inspired by the visible and satisfactory performances of earlier campaigns and to provide sustainability to formulation of PDPs in a participative and convergent manner, it is proposed to roll out People's Plan Campaign 2023-24 for preparation of Panchayat Development Plan for the Financial Year 2024-25 from 4th September 2023. Like earlier PPCs, this year PPC 2023-24 will also be coordinated by the Department of Panchayati Raj (DoPR) in the States/UTs and proceed to undertake following activities in a time bound manner:

| S. No. | Activities | Timeline |
|--------|---|---|
| 1. | Activation of monitoring platform/portals of PPC:2023-24 | 8 th September, 2023 |
| 2. | Appointment of Nodal officers (State/District/Block level) | 13 th September, 2023 |
| 3. | Appointment of facilitators for every Gram Panchayat | 18 th September, 2023 |
| 4. | Introductory workshop/ Orientation and training of nodal officers and facilitators | 22 nd September, 2023 |
| 5. | Finalisation of Schedule of Gram Sabha meetings | 25 th September, 2023 |
| 6. | Uploading Gram Sabha wise Calendar on PPC portal | 27 th September, 2023 |
| 7. | Display of Public Information Board in every Gram Panchayat | 30 th September, 2023 |
| 8. | Discussion on preparation of thematic GPDP for FY 2024-25 by GPs in Special Gram Sabha | 2 nd October 2023 |
| 9. | PR department to write to the line departments to share information of major flagship schemes of Central & State Government | 5 th -10 th October, 2023 |
| 10. | State level workshops on preparation of thematic PDP for the financial Year 2024-25 | 15 th October to 15 th November, 2023 |

RUSA

प्रवीणा चौधरी

उप निदेशक (पं)

पंचायती राज उ० प्र०।
23.8.23

Dr. Sushil

29/08/2023

| | | |
|-----|--|---|
| 9. | Block level workshops of line departments for data/information sharing in respect of major flagship schemes of Central & State Governments | 25 th October to 25 th November, 2023 |
| 10. | Uploading of Gram Panchayat Development Plan (GPDP) 2024-25 | By 31 st January 2024 |
| 11. | Uploading of Block Panchayat Development Plan (BPDP) 2024-25 | By 29 th February 2024 |
| 12. | Uploading of District Panchayat Development Plan (DPDP) 2024-25 | By 31 st March 2024 |

4. During campaign structured Gram Sabhas will be held for preparation of comprehensive, participatory, and convergent GPDP by adopting saturation approach through inclusion of plans of line departments into GPDP. Accordingly, concerned officials of Line Department may be instructed to attend the Gram Sabhas and share the details of the schemes and programmes of their departments which need to be integrated into the GPDP for holistic approach. Likewise comprehensive and convergent BPDP and DPDP is also to be prepared through inclusion of plans of line departments. In this regard, a joint advisory issued by the 7 Central Ministries vide DO letter dated 30th September 2022 (Copy enclosed) may please be referred.

5. I believe the experience gained during last year's campaign would provide the necessary stimulus in rolling out of this year's campaign in more effective and vigorous way by all the stakeholders.

6. I, therefore, shall be grateful for your leadership and guidance to the concerned authorities of your States/UTs for roll out of People's Plan Campaign 2023-24 for timely preparation and uploading of Panchayat Development Plan for the FY 2024-25.

Rosal

Yours sincerely,

8.8.2023
(Dr. Chandra Shekhar Kumar)

The Addl. CS / Pr. Secretary / Secretary
Department of Panchayati Raj
All States/UTs

Copy to: Director General, NIRDPR, Hyderabad for kind information

Sunil Kumar
Secretary
Ministry of Panchayati Raj



Nagendra Nath Sinha
Secretary
Department of Rural Development

Rajesh Bhushan
Secretary
Department of Health & Family Welfare

Vini Mahajan
Secretary
Department of Drinking Water & Sanitation

Pankaj Kumar
Secretary
Department of Water Resources, River
Development and Ganga Rejuvenation

Indevar Pandey
Secretary
Ministry of Women & Child Development

Anita Karwal
Secretary
Department of School Education &
Literacy

Manoj Ahuja
Secretary
Department of Agriculture & Farmers
Welfare

D. O. No. M-11015/355/2022-CB

Dated: 30th September, 2022

Dear Chief Secretary,

The People's Plan Campaign (PPC) – 'Sabki Yojana Sabka Vikas' is rolled-out annually for preparation of Panchayat Development Plans (PDPs). Inspired by the visible and satisfactory performances of earlier Campaigns and to provide sustainability to formulation of PDPs, it is proposed to launch PPC-2022 from 2nd October, 2022 to 31st January, 2023 for preparing District, Block and Gram Panchayat Development Plans for the Financial Year 2023-24.

2. As you are aware, Ministry of Panchayati Raj has evolved thematic approach aggregating 17 SDGs into 9 broad themes to Localise Sustainable Development Goals (LSDGs) at grassroots level through Panchayats adopting 'Whole of Government and Whole of Society' approach. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories of respective Ministries on 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed wherein all agreed to work jointly in the 9 thematic areas embodying the spirit of inclusive development.

3. Generally, during PPC two special Gram Sabhas (GS) are held. In the first Gram Sabha environment is created for preparation of Plan and during 2nd GS, Gram Panchayat Development Plan (GPDP) is prepared. Since, frontline workers of the line Departments are the key stakeholders, their participation in both GS is of utmost importance to prepare evidence based comprehensive and inclusive GPDP. It is expected that frontline workers will disseminate features of their schemes, resources, convergence mechanisms etc. and finally facilitate in incorporating activities of their Departmental Village Action Plan into GPDP.

4. However, the analysis of the participation of frontline workers in last year planning process shows lukewarm response of the line departments. It is seen that frontline workers of only 3 line Departments were present in just 50% Gram Sabha meetings and of 5 or more line departments were present in only 3% Gram Sabha meetings. The State-wise and Department-wise status of participation in GS is annexed. Coming together of different line departments in Gram Sabha would not only augment the awareness about Central and State schemes but also help in preparation of comprehensive plan through participatory approach.

5. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories on all 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed embodying the spirit of inclusive development in the 9 thematic areas. All States/UTs have actively supported the LSDGs and till date over 2.20 lakh GPs have identified themes on which they would like to assign priority in the GPDP. We believe that active participation of frontline workers of line Departments in the PPC would improve the quality of GPDP and make the entire process truly participative.

6. Hence, necessary directions to the line Departments to ensure participation of their frontline workers / officers in both the Gram Sabhas organised during PPC for preparation of GPDP may be issued. We urge that progress of PPC may be regularly monitored at High level Committees constituted at State and District levels.

With warm regards,


Yours sincerely,




(Nagendra Nath Sinha)
Department of Rural Development




(Vini Mahajan)
Department of Drinking Water & Sanitation



(Indevar Pandey)
Ministry of Women & Child Development




(Manoj Ahuja)
Department of Agriculture and Farmers Welfare




(Rajesh Bhushan)
Department of Health & Family Welfare



(Pankaj Kumar)
Department of Water Resources, River
Development
and Ganga Rejuvenation



(Anita Karwal)
Department of School Education &
Literacy



(Sunil Kumar)
Ministry of Panchayati Raj

To,

The Chief Secretaries,
All States/UTs

Copy to: Additional Chief Secretaries/ Principal
Secretaries/Secretaries, All Related Departments, All States/
UTs

State Wise Summary of Participation of Frontline Workers from Line Departments in Special Gram Sabha for the FY 2022-23

| S. N. | State Name | Special Gram Sabha Held in GP. | Department of Rural Development | | Department of Agriculture | | Department of Health & Family Welfare | | Department of Women & Child Development | | Department of Drinking Water | | Department of Education | | Department of Water Resource | |
|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 1 | Andaman & Nicobar Islands | 209 | 42 | 20.10 | 124 | 59.33 | 4 | 1.91 | 10 | 4.78 | 3 | 1.44 | 107 | 51.20 | 2 | 0.96 |
| 2 | Andhra Pradesh | 14504 | 2847 | 19.63 | 6874 | 47.39 | 3458 | 23.84 | 6879 | 47.43 | 2809 | 19.37 | 4923 | 33.94 | 225 | 1.55 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 2492 | 1005 | 40.33 | 1259 | 50.52 | 263 | 10.55 | 558 | 22.39 | 346 | 13.88 | 879 | 35.27 | 267 | 10.71 |
| 4 | Assam | 2505 | 551 | 22.00 | 1240 | 49.50 | 298 | 11.90 | 251 | 10.02 | 172 | 6.87 | 756 | 30.18 | 129 | 5.15 |
| 5 | Bihar | 12108 | 5785 | 47.78 | 6362 | 52.54 | 1199 | 9.90 | 3864 | 31.91 | 280 | 2.31 | 4612 | 38.09 | 4 | 0.03 |
| 6 | Chhattisgarh | 14878 | 3117 | 20.95 | 8850 | 59.48 | 1645 | 11.06 | 7340 | 49.33 | 1342 | 9.02 | 9022 | 60.64 | 610 | 4.10 |
| 7 | Goa | 292 | 55 | 18.84 | 6 | 2.05 | 11 | 3.77 | 33 | 11.30 | 5 | 1.71 | 33 | 11.30 | 4 | 1.37 |
| 8 | Gujarat | 14823 | 3515 | 23.71 | 9168 | 61.85 | 1796 | 12.12 | 4355 | 29.38 | 1726 | 11.64 | 6923 | 46.70 | 92 | 0.62 |
| 9 | Haryana | 6504 | 2197 | 33.78 | 2577 | 39.62 | 636 | 9.78 | 2905 | 44.66 | 686 | 10.55 | 2516 | 38.68 | 226 | 3.47 |
| 10 | Himachal Pradesh | 3835 | 1401 | 36.53 | 832 | 21.69 | 273 | 7.12 | 843 | 21.98 | 569 | 14.84 | 840 | 21.90 | 7 | 0.18 |
| 11 | Jammu & Kashmir | 4941 | 1392 | 28.17 | 1390 | 28.13 | 858 | 17.36 | 687 | 13.90 | 651 | 13.18 | 3033 | 61.38 | 41 | 0.83 |
| 12 | Jharkhand | 5061 | 2057 | 40.64 | 2657 | 52.50 | 144 | 2.85 | 880 | 17.39 | 1451 | 28.67 | 1625 | 32.11 | 68 | 1.34 |
| 13 | Karnataka | 6104 | 1395 | 22.85 | 1902 | 31.16 | 1162 | 19.04 | 2196 | 35.98 | 898 | 14.71 | 3126 | 51.21 | 63 | 1.03 |
| 14 | Kerala | 967 | 642 | 66.39 | 699 | 72.29 | 89 | 9.20 | 240 | 24.82 | 3 | 0.31 | 386 | 39.92 | 0 | 0.00 |
| 15 | Ladakh | 203 | 10 | 4.93 | 75 | 36.95 | 1 | 0.49 | 55 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 64 | 31.53 | 0 | 0.00 |
| 16 | Lakshadweep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Madhya Pradesh | 24459 | 11000 | 44.97 | 7394 | 30.23 | 7394 | 30.23 | 16139 | 65.98 | 788 | 3.22 | 15842 | 64.77 | 154 | 0.63 |
| 18 | Maharashtra | 33890 | 6828 | 20.15 | 17525 | 51.71 | 6204 | 24.21 | 12797 | 37.76 | 7272 | 21.46 | 21665 | 63.93 | 674 | 1.99 |
| 19 | Manipur | 2643 | 870 | 32.92 | 912 | 34.51 | 116 | 4.39 | 123 | 4.65 | 92 | 3.48 | 965 | 36.51 | 0 | 0.00 |
| 20 | Meghalaya | 3860 | 1510 | 39.12 | 929 | 24.07 | 343 | 8.89 | 204 | 5.28 | 340 | 8.81 | 289 | 7.49 | 244 | 6.32 |
| 21 | Mizoram | 2492 | 812 | 32.58 | 443 | 17.78 | 517 | 20.75 | 239 | 9.59 | 85 | 3.41 | 664 | 26.65 | 5 | 0.20 |
| 22 | Nagaland | 1229 | 816 | 66.40 | 226 | 18.39 | 333 | 27.10 | 70 | 5.70 | 77 | 6.27 | 539 | 43.86 | 149 | 12.12 |

| S. N. | State Name | Special Gram Sabha Held in GP | Department of Rural Development | | Department of Agriculture | | Department of Health & Family Welfare | | Department of Women & Child Development | | Department of Drinking Water | | Department of Education | | Department of Water Resource | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| 23 | Odisha | 10554 | 110 | 1.04 | 4199 | 39.79 | 2905 | 27.53 | 4348 | 41.20 | 2425 | 22.98 | 4384 | 41.54 | 90 | 0.85 |
| 24 | Puducherry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Punjab | 13417 | 8376 | 62.43 | 4477 | 33.37 | 3334 | 24.85 | 6838 | 50.97 | 5248 | 39.11 | 6342 | 47.27 | 1285 | 9.58 |
| 26 | Rajasthan | 11665 | 1778 | 15.24 | 6752 | 57.88 | 3232 | 27.71 | 6935 | 59.45 | 983 | 8.43 | 9195 | 78.83 | 238 | 2.04 |
| 27 | Sikkim | 195 | 107 | 54.87 | 86 | 44.10 | 9 | 4.62 | 3 | 1.54 | 13 | 6.67 | 103 | 52.82 | 5 | 2.56 |
| 28 | Tamil Nadu | 12797 | 2673 | 20.89 | 5313 | 41.52 | 1007 | 7.87 | 3800 | 29.69 | 1700 | 13.28 | 9197 | 71.87 | 150 | 1.17 |
| 29 | Telangana | 12948 | 2659 | 20.54 | 5783 | 44.66 | 4726 | 36.50 | 7071 | 54.61 | 2540 | 19.62 | 9257 | 71.49 | 197 | 1.52 |
| 30 | The Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 38 | 23 | 60.53 | 35 | 92.11 | 14 | 36.84 | 30 | 78.95 | 31 | 81.58 | 33 | 86.84 | 11 | 28.95 |
| 31 | Tripura | 2022 | 603 | 29.82 | 1204 | 59.55 | 175 | 8.65 | 395 | 19.54 | 696 | 34.42 | 661 | 32.69 | 296 | 14.64 |
| 32 | Uttarakhand | 8434 | 3730 | 44.23 | 3088 | 36.61 | 1308 | 15.51 | 1846 | 21.89 | 919 | 10.90 | 1066 | 12.64 | 56 | 0.66 |
| 33 | Uttar Pradesh | 64275 | 20092 | 31.26 | 10495 | 16.33 | 26819 | 41.73 | 39458 | 61.39 | 5282 | 8.22 | 48163 | 74.93 | 140 | 0.22 |
| 34 | West Bengal | 6355 | 1595 | 25.10 | 1570 | 24.70 | 3105 | 48.86 | 2853 | 44.89 | 873 | 13.74 | 3736 | 58.79 | 219 | 3.45 |
| | Total | 300699 | 89593 | 29.79 | 114446 | 38.06 | 75378 | 25.07 | 134245 | 44.64 | 40305 | 13.40 | 170946 | 56.85 | 5651 | 1.88 |

Participation of Frontline Workers from Line Departments in Special Gram Sabha for the FY 2022-23

